दैनिक
न्याय साक्षी
खबरें खास
रायगढ़, शनिवार, 02 अप्रैल 2022
www.nyaysakshi.com

महत्वपूर्ण एवं खास

कलेक्टर ने खनिज डोलोमाईट उत्खनी पट्टेधारी मेसर्स अग्रसेन माइंस एण्ड मिनरल्स को प्रदान किया 4 स्टार रेटिंग का प्रमाण

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने कल ग्राम-जोतपुर तहसील बरमकेला के खनिज डोलोमाईट उत्खनी पट्टेधारी मेसर्स अग्रसेन माइंस एण्ड मिनरल्स पार्टनर सुभाष जिंदल, अशोक अग्रवाल एवं नीरज अग्रवाल को संयुक्त रूप से 4 स्टार रेटिंग का प्रमाण-पत्र प्रदान किया। इस मौके पर उप संचालक खनिज बी.के.चंद्राकर, सहायक खनि अधिकारी ए.बारीक एवं सुनील शर्मा उपस्थित थे। मालूम हो कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माईन्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सांईटिफिक रूप से माइनिंग (खनन)करने वाले खदानों को 5 स्टार, 4 स्टार एवं 3 स्टार का रेटिंग किया जाता है। स्टार रेटिंग हेतु कुल 14 पट्टेदार फर्म आशीष गोयल डोलोमाईट खनिज ग्राम कटंगपाली, एन्टी इंटरप्राईजेस क्वार्टजाईट खनिज ग्राम टीपाखोल को चुना गया है। जिसको प्रमाण-पत्र छ.ग.शासन द्वारा दिया जाएगा। 4 स्टार हेतु अग्रसेन माईंस एवं मिनरल्स डोलोमाईट उत्खनि पट्टा हेतु चुना गया है। 4 स्टार एवं 3 स्टार हेतु प्रमाण-पत्र जिला कलेक्टर द्वारा प्रदान किया जाता है।

अल्पसंख्यक कल्याण समिति की बैठक आयोजित

रायगढ़। अल्पसंख्यक कल्याण समिति की त्रैमासिक बैठक आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की गयी। बैठक में अल्पसंख्यक समुदाय को शासन के विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाली लाभ एवं योजनाओं की जानकारी दी गयी। जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण समिति रायगढ़ के सदस्यों द्वारा विभागों से प्राप्त होने वाले योजना रोजगार प्रशिक्षण, कब्रिस्तान निर्माण, छात्रवृत्ति योजना, उर्दू शिक्षा योजना, कन्या विवाह योजना, ऋण प्रदाय योजना, मुस्लिम समाज हेतु भवन, गरीबी रेखा कार्ड, श्रम कार्ड एवं नि:शुल्क इलाज कराये जाने हेतु मांग की गयी है। बैठक में स्थानीय वार्ड स्तर पर हो रही समस्याओं पर चर्चा की गयी। अपर कलेक्टर आर.ए.कुरूवंशी ने आगामी बैठक में संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों को सम्मिलित होने तथा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी मंगाये जाने हेतु निर्देश दिए। बैठक में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अविनाश श्रीवास, सहायक संचालक शिक्षा सुश्री तरसिला एक्का, पशु चिकित्सक डॉ.एस.के.सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास श्री.टी.के.जाटवर, जिला रोजगार अधिकारी आर.जे.राम, लीड बैंक अधिकारी अमीनाथ महली, प्रभारी कार्यपालन अधिकारी अंत्यावसायी मनोज कुमार भगत, सहायक संचालक उद्योग अंजू नायक, उर्दू इंचार्ज रायगढ़ कु.तरन्नुम खान, अल्पसंख्यक कल्याण समिति के सदस्य में शेख ताजीम, सुषमा कुजूर, उमेश कुमार तिर्की एवं सुनील आनंद उपस्थित रहे।

पटवारी चयन परीक्षा 24 अप्रैल को : अपर कलेक्टर कुरूवंशी नोडल अधिकारी नियुक्त

रायगढ़। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा 24 अप्रैल 2022 को पटवारी चयन परीक्षा प्रात:10 बजे से दोपहर 1.15 बजे तक आयोजित की जाएगी। कलेक्टर भीम सिंह ने रायगढ़ में परीक्षा के सफल संचालन हेतु अपर कलेक्टर आर.ए.कुरूवंशी को नोडल अधिकारी एवं प्रधान पाठक रामकुमार चौहान को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

जिला स्तरीय रामायण मण्डली प्रतियोगिता 4 अप्रैल को

रायगढ़। जिला स्तरीय रामायण मण्डली प्रतियोगिता 4 अप्रैल 2022 को पूर्वान्ह 11 बजे से सांस्कृतिक भवन (ऑडिटोरियम)पंजरी प्लांट, रायगढ़ में आयोजित होगी।

कार का रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर एक लाख रूपये की ठगी

रायपुर (आरएनएस)। कार का रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर एक लाख रूपये की ठगी का मामला सामने आया है। घटना की रिपोर्ट डीडीनगर थाना में दर्ज कराया गया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी दिलीप तिवारी 26 वर्ष निवासी डीडीनगर निवासी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि माह नवंबर 2020 में उसने महादेव कार प्रा.लि. शो रूम के विक्की थामरा से रेनाल्ड कार का रजिस्ट्रेशन भोपाल में कराने के लिए संपर्क किया था, जिसके लिए आरोपी ने प्रार्थी से 3 किश्तों में 99 हजार 999 रूपये लेने के बाद भी कार का रजिस्ट्रेशन नहीं कराकर धोखाधड़ी की।

कापू ट्रिपल मर्डर केस का 24 घंटे के भीतर खुलासा एक ही परिवार के दो महिला व दो पुरूष गिरफ्तार

एक दूसरे के खेत में महुआ उठाने को लेकर था झगड़ा विवाद, जादू टोना अंध विश्वास भी घटना की वजह

❑ घटना की सूचना पाकर फारेंसिक, एसडीओपी व थाना की टीम के साथ स्वयं एसपी ने की फांदापाली जंगल में कैम्प

रायगढ़। दिनांक 31.03.2022 के करीब 11-12 बजे के मध्य थाना प्रभारी कापू उप निरीक्षक ए.के. बेक को ग्राम धवईडांड, चाल्हा के निकट फांदापाली जंगल में वृद्ध महिला समेत एक ही परिवार के तीन लोगों का शव उनके झाला (लकड़ी,पत्तों से बना झोपड़ी) के बाहर पड़ा है सूचना प्राप्त हुआ। थाना प्रभारी कापू द्वारा तत्काल सूचना से एसपी, एएसपी एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ को अवगत कराकर अपने स्टाफ के साथ मौके के लिये रवाना हुये। घटनास्थल पर ग्राम धवईडांड महिला दुहनीबाई (65 साल), उसके बेटे अमृत लाल (24 साल) और उसकी नतनी अमृता बाई (13 साल) का शव पड़ा हुआ मिला जिनके सिर एवं शरीर पर गंभीर चोट के निशान पाये गये। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत होने पर तत्काल मर्ग जांच करते हुए हत्या का मामला दर्ज किया गया। जांच के क्रम में मृतकों के वारिशानों एवं गांव के लोगों से पूछताछ प्रारंभ किया गया।

एक तरफ एसपी अभिषेक मीणा द्वारा आवश्यक जिले की सीमाओं की नाकेबंदी का पाइंट देते हुए एफएसएल, फिंगर प्रिंट की टीम तथा डॉग स्क्वॉड के साथ एसडीओपी धरमजयगढ़ एवं थाना प्रभारी घरघोडा को रवाना होने का निर्देश देते हुए स्वयं भी घटनास्थल के लिये रवाना हुये। सभी के घटनास्थल पर पहुंचने के बाद एसपी अभिषेक मीणा द्वारा सभी टीमों को उनके दायित्वों के संबंध में ब्रीफ कर प्रत्येक अधिकारी को जांच के संबंध में कई महत्वपूर्ण दिशाओं में सूक्ष्मता से जांच करने का निर्देश दिया गया।

एसपी मीणा से प्राप्त निर्देशों पर घटनास्थल का सूक्ष्मता से जांच कर रहे एफएसएल टीम एवं थाना प्रभारी कापू द्वारा विस्तृत मुआयना किया गया। जहां खून के काफी छिंटे पत्तों व जमीन पर होते मृतकों के झाला के बाजू वाला झाला जिसमें चाल्हा उरांवपारा में रहने वाला फूलसाय अगरिया जो मृतकों का नाते रिस्तेदार है अपने परिवारवालों के साथ रहकर महुआ बीनने का कार्य करते थे। जांच की टीम पहुंची प्रारंभिक पूछताछ में फूलसाय और उसकी पत्नी टुनी बाई से पृथक-पृथक पूछताछ की गई तब उनके द्वारा गोल मोल जवाब देने पर संदेह होने पर पुलिस की एक टीम उनके मूल गांव चाल्हा पहुंचे। जहां फूलसाय का बेटा विकेश अगरिया और विकेश की पत्नी कौशल्या अगरिया मिले। दोनों पति-पत्नी से हिकम्मत अमली से पूछताछ करने पर घटना का वृतांत व सच सामने आ गया।

आरोपी विकेश अगरिया पुलिस को दिये अपने मेमोरेंडम बयान में बताया कि पिछले 5-6 साल से धवईडांड के फांदापाली जंगल में अपने मामा सुखसाय के खेत के पास महुआ बिनते आ रहे हैं। बगल में मामा अमृतलाल अगरिया (मृतक) का खेत लगा हुआ है। वहां अमृतलाल अगरिया अपनी मां दुहनीबाई तथा कु. अमृता बाई के साथ इस साल झाला लगाकर रुके हुए थे। सुखसाय जो अमृतलाल का बडा साला है, सुकसाय अपनी बहन टुनी बाई और उसके पति फुलसाय के परिवार को अपने हिस्से की जमीन के आसपास उपयोग करने बोला था। इसके कारण पहले भी अमृत लाल के परिवार के साथ विवाद हुआ था और नानी दुहनीबाई पर शंका था कि कुछ जादू टोना करती है जिसके कारण पत्नी कौशल्या को बच्चा नहीं हो रहा है और मेरा भी हमेशा तबीयत खराब रहता था, चक्कर आता था। बुधवार दिनांक 30 32022 को रात करीब 6-7 बजे अपने पिता फुलसाय मां टुनी बाई और पत्नी कौशल्या के साथ झाला में बैठकर खाना सब्जी बना रहे थे। उसी समय नानी दुहनीबाई उसकी नतनी अमृता को लेकर झाला में घूमने आई। सब लोग बैठकर घरेलू बातचीत कर रहे थे। तभी नानी दुहनीबाई बोली की बहू कौशल्या का बच्चा कैसे नहीं हो रहा है। इस बात पर नानी पर गुस्सा आ गया और तुम्हारे कारण बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं कहकर गुस्से में आकर पास रखें टांगी के पासा (टांगी के पीछे का हिस्सा) से नानी दुहनीबाई के सिर में 3-4 बार मारा और उसकी नतनी अमृता बाई को भी टांगी के पास 4-5 बार मारा। दोनों वहीं मर गए जिसके बाद पिताजी फुलसाय के साथ अमृतलाल अगरिया के झाला में गया। जहां अमृतलाल अगरिया महुआ पीकर लेटा था। सोते हालत में उसे टांगी के पासा से 3-4 बार मारा पिताजी फुलसाय लकड़ी के डंडे से अमृतलाल के छाती में मारा जिससे तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। उसके तुरंत बाद अपने पिताजी मां और पत्नी के साथ मिलकर अमृतलाल, दुहनीबाई, अमृता के शव को उनके झाला के बाहर ले जाकर लेटा दिए और अमृता के सिर पर वही चूल्हा के पास पड़े पत्थर रख दिए और सब वापस झाला आ गए। मां टुनी बाई और पत्नी कौशल्या हमारे खून लगा कपड़ा और खून लगा चटाई को चूल्हा में जला दिए तथा टांगी को बोर के पास कीचड़ छुपा कर रख दिया था। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल से महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य एवं आरोपियो से घटना में प्रयुक्त हथियान की जप्ती की गई है।

जप्त आलाजरब- हत्या में प्रयुक्त टांगी, डंडा और पत्थर।

गिरफ्तार आरोपी- (1) विकेश अगरिया पिता फुलसाय 21 वर्ष (2) फुलसाय अगरिया पिता जगर साय 50 वर्ष (3) टुनी बाई अगरिया 46 वर्ष (4) कौशल्या अगरिया पति विकेश उम्र 19 वर्ष सभी ग्राम चाल्हा थाना कापू जिला रायगढ़।

एसपी अभिषेक मीणा के कुशल नेतृत्व एवं दिशा निर्देशन पर इस अंधे कत्ल का 24 घंटों के भीतर खुलासा करने में एडिशनल एसपी लखन पटेल, एसडीओपी धर्मजयगढ़ दीपक मिश्रा, सीएसपी योगेश पटेल, प्रशिक्षु आईपीएस प्रभात कुमार के नेतृत्व वाली टीम में शामिल थाना प्रभारी घरघोड़ा अमित सिंह, थाना प्रभारी धरमजयगढ़ विजय पैकरा, थाना प्रभारी कापू उपनिरीक्षक ए.के. बेक, एफएसएल फिंगर प्रिंट टीम, साइबर सेल, डॉग स्क्वॉड एवं कापू/धरमजयगढ़ स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही है।

मार्च महीने में 22 नाबालिग हुए गुम 16 की दस्तयाबी में रायगढ़ पुलिस को मिली सफलता

❑ बलौदा बाजार में मिली सारंगढ़ थाना क्षेत्र से लापता हुई बालिका, नाबालिग को भगा ले जाने वाला युवक गिरफ्तार

❑ सारंगढ़ पुलिस ने पोक्सो एक्ट में आरोपी को भेजा रिमांड पर

रायगढ़। एसपी अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन पर सभी थानाक्षेत्र अन्तर्गत लापता हुये नाबालिगों की गंभीरता पूर्वक पतासाजी की जा रही है जिससे लगातार नाबालिगों की दस्तयाबी में सफलता प्राप्त हो रहा है। गत माह मार्च में 21 प्रकरणों में 22 नाबालिगों के गुम रिपोर्ट पर धारा 363 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था जिसमें 16 नाबालिगों की दस्तयाबी में रायगढ़ पुलिस को सफलता मिली है। इसी कड़ी में सारंगढ़ पुलिस द्वारा दिनांक 23.03.2022 को थानाक्षेत्र से लापता हुई बालिका को बलौदाबाजार क्षेत्र से आज दस्तयाब किया गया है। बालिका के पिता द्वारा दिनांक 24.03.2022 को थाना सारंगढ़ में बालिका के दिनांक 22-23.03.2022 के रात्रि अचानक कहीं घर से चली गई। सुबह होने पर रिश्तेदारों से फोन से बालिका का पता किये आसपास के इलाकों में भी काफी खोजबीन किये, पता नहीं चला, रिपोर्ट पर थाना प्रभारी सारंगढ़ निरीक्षक विवेक पाटले द्वारा अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

थाना प्रभारी सारंगढ़ द्वारा बालिका के परिजनों, रिस्तेदार तथा उसके घर आसपास के लोगों से पूछताछ बाद बालिका की नजदीकी सहेलियों को अपने विश्वास में लेकर पूछताछ करने पर बालिका को व्यास नारायण बारले निवासी बलौदाबाजार के साथ पहले बातचीत करते देखना बताये जिस पर थाना प्रभारी द्वारा व्यास नारायण बारले की पतासाजी किया गया जो घर से नदारद था जिससे उस पर बालिका को भगा ले जाने का संदेह हुआ टीआई पाटले द्वारा संदेही के गांव में अपने मुखबिर लगाकर संदेही के देखे जाने पर सूचना देने निर्देशित किये। आज दिनांक 01.04.02022 को संदेही के गांव आने की सूचना मुखबिर द्वारा दिये जाने पर एएसआई राजेश यादव के हमराह स्टाफ को बालिका एवं संदेही की पतासाजी के लिये भेजा गया। सारंगढ़ पुलिस द्वारा संदेही के घर से बालिका को दस्तयाब किया गया तथा बालिका को भगा ले जाने वाले आरोपी व्यास नारायण बारले पिता धनीराम बारले उम्र 24 साल निवासी थाना व जिला बलौदाबाजार को हिरासत में लेकर थाना लाया गया। बालिका के कथन, मुलाहिजा पश्चात प्रकरण में धारा 366, 376 आईपीसी 4, 6 पॉक्सो एक्ट जोडा गया तथा आरोपी को आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जहां आरोपी का जेल वारंट जारी होने पर उप जेल सारंगढ़ में आरोपी को दाखिल किया गया है।

थाना प्रभारी सारंगढ़ निरीक्षक विवेक पाटले के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक राजेश यादव, आरक्षक राधेश्याम निषाद की बालिका की दस्तयाबी एवं आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी में अहम भूमिका रही है।

प्रदेश में क्रिकेट, फुटबॉल व हॉकी के विकास के लिए की गई दिग्गज खिलाड़ियों की नियुक्तियां

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुख्य संरक्षण में प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल की अनुमति से, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया मोहन मरकाम के निर्देश पर प्रदेश में पेशेवर खेलों को बढ़ावा देने तथा खेल और खिलाडिय़ों के सर्वगीन विकास हेतु छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी खेलकूद प्रकोष्ठ के अंतर्गत प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जैन ने विभिन्न खेलों में प्रदेश संयोजकों व सलाहकारों की नियुक्ति की हैं, जिसमें प्रमुख रूप से राजेश चौहान, क्रिकेट विकास परिषद, श्री मुस्ताक अली प्रधान, फुटबॉल विकास परिषद, नासिर अली, हॉकी विकास परिषद को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रवीण जैन ने नियुक्ति के उपरांत कहा है कि सभी दिग्गज खिलाडिय़ों की नियुक्ति से प्रदेश भर में पेशेवर खेलों को बढ़ावा मिलेगा तथा खिलाडिय़ों के पक्ष में सभी पदाधिकारी जिम्मेदारी का निर्वहन कुशलता पूर्वक करेंगे। नव नियुक्त पदाधिकारियों को सभी जिलों में संबंधित खेलों के खिलाडिय़ों को संगठित कर जिला इकाई का गठन कर संगठन का विस्तार करने की जिम्मेदारी भी दी गई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने विद्यार्थियों से परीक्षा पे की चर्चा

रायगढ़। राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर के आदेशानुसार समस्त जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़, समस्त जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ व समस्त प्राचार्य व प्रधान पाठकों को प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा 2022 कार्यक्रम को प्रदेश के समस्त विद्यालयों में प्रसारण के संबंध में निर्देशित किया गया था। निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल 2022 को भारत के समस्त विद्यार्थियों से चर्चा की। उक्त कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन के डीडी नेशनल, डीडी न्यूज, डीडी इंडिया एवं ऑल इंडिया रेडियो के मीडियम रेड एफएम चैनलों तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दूरदर्शन के माय गवर्नमेंट डॉट इन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के यूट्यूब चैनल लाइव तथा मानव संसाधन के स्वयं प्रभा चैनल के वेबसाइटों पर किया गया। उक्त कार्यक्रम में जिले के समस्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक एवं हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी विद्यालयों के कक्षा पहली से बारहवीं तक के अध्ययनरत विद्यार्थियों को उक्त कार्यक्रम को पूर्व वर्ष की भांति देखने अथवा सुनने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। जिले के समस्त प्रधान पाठक व प्राचार्य द्वारा अपने स्थानीय स्तर पर परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के प्रसारण को सुनने के लिए समस्त विद्यार्थियों हेतु समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराया गया।

आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के मामले में आरोपी जेल दाखिल

रायगढ़। थाना चक्रधरनगर के मर्ग क्रमांक 17/2022 धारा 174 जाफौ की मृतिका संजना शर्मा (40 वर्ष) के मर्ग जांच पर शव पंचनामा कार्यवाही एवं परिजनों के कथन उपरांत असल घटनास्थल केलो विहार गांधी नगर के निरीक्षण दौरान मृतिका द्वारा थाना प्रभारी के नाम प्रेषित सुसाईडल नोट प्राप्त हुआ जिसमें मृतिका द्वारा लेख किया गया है कि " पत्रकार अमित पाण्डेय द्वारा हमेशा मेरे विरूद्ध झूठे बेबुनियाद आरोपो व संदेहो के आधार पर समाचार अपने वेब पोर्टल व फेसबुक आदि में लिखा जाता है जिसे पढ कर मुझे दुख होता है तथा इन समाचारों से क्षुब्ध होकर यदि भविष्य में कोई ऐसा काम कर लूं जिससे मेरी मृत्यु या गंभीर संताप हो तो उसका एक मात्र कारण पत्रकार अमित पाण्डेय व उसके झूठे समाचार होंगे। " जो मृतिका द्वारा पत्रकार अमित पाण्डेय के समाचार से क्षुब्ध एंव प्रताडित होकर दिनांक 30.03.22 के दरम्यानी रात जहर सेवन कर ली जिसका ईलाज दौरान दिनांक 31.03.22 को फौत हो गया। आरोपी अमित पाण्डेय के द्वारा संजना शर्मा को आत्महत्या करने के लिये दुष्प्रेरित करना पाये जाने पर धारा 306 भादवि का अपराध आरोपी के विरूद्ध पंजीबद्ध कर आज दिनांक 01.04.2022 को आरोपी अमित पाण्डेय पिता रामजी पाण्डेय उम्र 40 वर्ष निवासी बाजीराव पारा वार्ड नं0 30 जूटमिल थाना कोतवाली रायगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया, माननीय न्यायालय द्वारा पुलिस रिमांड स्वीकृत किये जाने पर आरोपी को चक्रधरनगर पुलिस द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल दाखिल कराया गया है।

मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं और युवतियों को दी गई सुरक्षा व अधिकारों की जानकारी

❑ महापल्ली नर्सिंग कॉलेज, मेट्रो, जेएमजे और राज प्रिया हॉस्पिटल में जागरूकता कार्यक्रम

रायगढ़। जिले की पुलिस महिला रक्षा टीम द्वारा चलाये जा रहे जागरूकता अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.04.02022 को रक्षा टीम द्वारा थाना चक्रधरनगर क्षेत्र के महापल्ली नर्सिंग कॉलेज, मेट्रो हॉस्पिटल, मर्निंग स्टार जेएमजे हॉस्पिटल और राज प्रिया हॉस्पिटल में कॉलेज स्टुडेंट और मेडिकल फिल्ड से जुड़ी महिला एवं युवतियों को कानून के तहत उन्हें प्राप्त अधिकारों एवं महिला से जुड़े अपराध, साइबर अपराधों के संबंध में जानकारी दिया गया।

टीआई अंजना केरकेट्टा द्वारा कामकाजी महिलाओं एवं युवतियों का पोश एक्ट (POSH Act), घरेलू हिंसा से महिलओं का संरक्षण अधिनियम 2005, हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया।

टीआई अंजना केरकेट्टा बताई कि देश में वर्क प्लेस पर महिलाओं का यौन उत्पीशड़न रोकने के लिए 2013 में कानून बनाया गया है जिसे पोश एक्ट (POSH Act) यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरसमेंट कहा जाता है। सरकारी एवं गैर सरकारी आफिस / संस्थान में जहां दस से अधिक महिलाएं कार्य करती है वहां पोश कमेटी बनाना अनिवार्य है।

Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 घरेलू हिंसा से महिलओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार महिलाओं को परिवार के भीतर होने वाली हिंसा से बचाना है।

हिन्दु उत्तराअधिकारी अधिनियम 2005 का मूल उद्देश्य संपत्ति अधिकारों में लैंगिक भेदभावपूर्ण प्रावधानों को हटाना है जिसके अनुसार महिलाएं उनके माता पिता की सम्पत्ति पर अपना अधिकार मांग सकती है।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम/डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 को समझाते हुए टीआई केरकेट्टा बताई कि दहेज लेना और देना या इसे बढ़ावा दिया जाना सभी दंडनीय अपराध है। जिसके लिए 6 माह से लेकर 2 साल की सजा और अर्थदंड हो सकता है।

मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 की जानकारी देते हुए टीआई अंजना बताई कि 1 अप्रैल, 2017 को संशोधिति अधिनियम अनुसार कामकाजी महिलाओं के लिए 6 महीने के मातृत्व अवकाश को सुनिश्चित करता है यह नौकरी के अधिकार और मातृत्व अवकाश के दौरान पूरी सैलरी को सुनिश्चित करता है यह कानून हर उस सरकारी और गैर सरकारी कंपनी पर लागू होता है जहां 10 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं।

टीआई केरकेट्टा तथा एएसआई मंजु मिश्रा द्वारा महिलाओं और युवतियों को वर्तमान में सोशल मीडिया के जरिये हो रहे साइबर क्राईम के संबंध में विस्तार से जानकारी देकर बचाव के उपाए बताये गये, हेल्प लाइन नम्बरों की जानकारी दिया गया। साथ ही अभिव्यक्ति ऐप की जानकारी देकर सभी के मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कराया गया है। कार्यक्रम में रक्षा टीम की महिला आरक्षक इंदु लता एक्का भी मौजूद थी।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480